हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। आलौच्य अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट द्वारा प्रकरण संख्या 48/2022 अनवान सईद खां बनाम राजस्थान सरकार में पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 11 मार्च 2022 के खिलाफ प्रस्तुत की गयी है। विचारण न्यायालय की पत्रावली [जो इसी प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 अगस्त 2022 के खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 271/2022(जीसीएमएस–2022/431) अनवान सईद खां बनाम राजस्थान सरकार की मिसल के साथ संलग्न है] का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 मार्च 2022 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 26 अगस्त 2022 की आदेशिका में अंकितानुसार अपास्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आलौच्य अपील infructuous हो जाने से तदनुसार खारिज की जाती है। अपील फैसलशुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे और मिसल बाद तामील–तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश सुनाया गया। *राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर* राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	